

**फार्म**  
**प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०११**

अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जानिंदर झा 2. वर्तमान धारित पर अधीनस्थ  
 वर्तमान वेतन ₹1000 + 2400 6.0 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2011

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
अवकाश	शुद्ध (20x50) आरक्ष	-	1000000/-	-	अभिनी अर्जित अकेले ही <del>अभिनी अर्जित अकेले ही</del> 1998 में आरक्ष आरक्ष आरक्ष पर शुद्ध विभागाधीन आरक्ष आरक्ष आरक्ष की आरक्ष आरक्ष में आरक्ष अभिनी अर्जित अकेले ही पर आरक्ष आरक्ष आरक्ष आरक्ष आरक्ष आरक्ष आरक्ष आरक्ष आरक्ष	-		

जहां लागू न हो कार्ट दौलिया।  
 ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 इसमें अत्यन्तहीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : प्रथमपक्ष शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के पर्याप्त पर घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वीकृत की तथा उसके द्वारा अर्जित अवकाश उसे विरासत में मिले या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर।  
 नाम जानिंदर झा 1.3.2011  
 पद अधीनस्थ